राजस्थान सरकार

# न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

**प्रकरण संख्या 23/2022**

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **अप्रार्थी** |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी भेडाणा | | अर्जुन वल्द डामरा डामरा, तुलसा, पूनमा पि. प्रागाराम नेथी, शंकरा पि. मांगाराम समदा पत्नी मांगाराम कौम कलबी निवासी लक्ष्मीनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर |

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 28.11.2022

## निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का भेडाणा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लक्ष्मीनगर राजकीय भूमि ख.न. 1220/1 रकबा 0.1052 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.1052 हेक्टेयर(सम्पूर्ण) भूमि पर अलग अलग फसल अरण्डी, मिर्च, अनार तथा बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 28.11.2022 को प्रार्थी उपस्थित, गैर सायल डामरा तुलसा, पूनमा पि. प्रागाराम नेथी वल्द मांगाराम समदा पत्नी मांगाराम अनुपस्थित तथा गैर सायल अर्जुन व शंकराराम की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई व श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हल्का पटवारी भेडाणा ने उपस्थित होकर बताया कि ग्राम लक्ष्मीनगर के उक्त खसरा नं. 1220/1 रकबा 0.1052 हेक्टेयर(0.13बीघा) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत तत्कालीन समय में श्री गंगाराम (खसरा नं. 1206 के खातेदार) ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में राजस्व आवेदन दायर किया था। उक्त राजस्व आवेदन संख्या 252/2015 अनवान गंगाराम बनाम गवरी वगैरह में निर्णय दिनांक 17.06.2016 हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जा चुका है। उक्त निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर अपील संख्या 45/2016 अनवान गवरी बनाम गंगाराम में निर्णय दिनांक 14.06.2017 तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/टीए/3543/2017/बाड़मेर अनवान गवरी बनाम गंगाराम में निर्णय दिनांक 21.11.2022 द्वारा यथावत रखा गया।

उक्त समस्त न्यायालयों में गैर सायल को सुनवाई का वर्ष 2015 से अब तक समुचित अवसर दिया जा चुका है। तथा उक्त समस्त निर्णयों की जानकारी होते हुये भी गैर सायल ने अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर रखा है। जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा है। तथा विद्यार्थियों, मरीजों, आमजन को कट्टाण मार्ग तक पहुचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना बाधित हो रही है।

गैर सायल अर्जुन व शंकराराम की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई व रामजीवन विश्नोई द्वारा दिया गया वकालातनाम शामिल पत्रावली किया गया लेकिन आमजन को उक्त रास्ते की **अत्यावश्कता** होने से गैर सायल के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि [illegible] मुमकिन रास्ता है। जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा होने से ग्रामीणों, काश्तक[illegible]र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। रास्ते की अत्यावश्यकता हो[illegible] जाना उचित नहीं है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर [illegible] 0.83 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जा[illegible]। तथा बेदखली एवं जुर्माना वसूली व फसल नीलामी हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बन्नाराम चौधरी)
नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Saran
Date: 2023.01.20 15:11:55 IST
Reason: SelfAttested